प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 73 /1003–2303–डी०टी०ई०/2019, दिनांक 28/02/2019

–: कार्यालय ज्ञाप :–

उ०प्र० जल निगम लेखाकार सेवाविनियमावली–1997 में दिये गये प्राविधान अनुसार, उत्तर प्रदेश जल निगम लेखा संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत से नियुक्त लेखाकारों (कार्यवाहक लेखाकारों को छोड़ते हुए) की लेखाकार श्रेणी की विभागीय परीक्षा पुनः दिनांक 21.06.2019 से 23.06.2019 (03 दिवसीय) तक की अवधि के मध्य आयोजित/प्रस्तावित है।

अतः प्रस्तावित परीक्षा हेतु लेखाकार सेवाविनियमावली–1997 की अनुसूची–2 (प्रति संलग्न) के क्रम में परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित/निर्धारित किया जाता है:–

क्र०सं०	दिनांक	विषय/प्रश्नपत्र	समय
1	23.06.2019	1– निबन्ध अथवा सार लेखन पत्राचार एवं व्याकरण	पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक
		2– प्रारम्भिक बही खाता	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक
2	24.06.2019	1– उ०प्र० जल निगम लेखा एवं कार्यविधि (प्रायोगिक)	पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक
		2– लोक निर्माण लेखा एवं कार्य विधि	अपरान्ह 03:00 बजे से 04:30 बजे तक
3	25.06.2019	1– सामान्य लेखा कोषागार एवं वित्तीय नियम केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार	पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक
		2– हिन्दी निबंध	अपरान्ह 03:00 बजे से 04:00 बजे तक

संलग्नकः–यथोक्त।

20/2/19

(के०डी०बी०बी०सिंह)
वित्त निदेशक/नियुक्ति प्राधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. विशेष कार्याधिकारी(प्रशासनिक), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ इकाई कार्यालयों में कार्यरत लेखाकार (कार्यवाहक लेखाकार को छोड़ते हुए) को अपने स्तर से उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम के सबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ खण्ड/इकाई कार्यालयों में कार्यरत लेखाकार (कार्यवाहक लेखाकार को छोड़ते हुए) को अपने स्तर से उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम के सबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
6. सचिव(प्रशासन/व्यवस्था), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम। (क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय के माध्यम से)
8. संयुक्त निदेशक, एच०आर०डी०/सी०पी०यूनिट, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम। (क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय के माध्यम से)
10. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परीक्षा कार्यक्रम को उ०प्र० जल निगम के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. अधिशासी अभियन्ता(मु०), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
13. समस्त सहायक लेखाधिकारी(मु०), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
14. समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० जल निगम।
15. मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
16. उ०प्र० जल निगम समस्त लेखाकारों/खण्डीय लेखाकारों को (नाम से)।
17. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

(नीलम सिंह)
वित्त विश्लेषक

अनुसूची-२

उत्तर प्रदेश जल निगम के लेखाकारों की विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण

(देखें विनियम २३ का उप विनियम) ४)

परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे:-

प्रश्न-पत्र/विषय	समय	पूर्णांक	उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत)	छूट के लिए न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत)
१-निबंध अथवा सार-लेखन पत्राचार एवं व्याकरण	३घंटे	१५०	४०	४५
२-प्रारम्भिक बही खाता	२-१/२घंटे	१५०	४०	५०
३-उ०प्र०जल निगम लेखा एवं कार्य विधि(प्रायोगिक)	३ घन्टे	१५०	४०	५०
४-लोक निर्माण लेखा एवं कार्य विधि	१-१/२	१५०	४०	५०
५-सामान्य लेखा, कोषागार एवं वित्तीय नियम(केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार)	३ घन्टे	१५०	४०	५०
६-हिन्दी निबन्ध	एक घन्टा	१५०	४०	४०
पूर्ण योग		९००	४०	

२- परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्तर निम्न प्रकार होगा:-

प्रश्न-पत्र निबन्धन अथवा सार-लेखन,पत्राचार एवं व्याकरण

परीक्षा का स्तर वही होगा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा का होगा । परीक्षार्थी को यह विकल्प होगा कि वह इस प्रश्नपत्र के उत्तर हिन्दी में दे । व्याकरण अंश के लिए प्रश्नों के दो भिन्न-भिन्न सेट होंगे- एक हिन्दी व्याकरण में जिनका उत्तर उन परीक्षार्थियों द्वारा दिया जाना होगा जिन्होंने अपना विकल्प हिन्दी माध्यम के लिए दिया हो तथा दूसरा अंग्रेजी व्याकरण के जिनमें उत्तर अन्य परीक्षार्थियों द्वारा दिया जाना होगा । हिन्दी व व्याकरण के प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिससे परीक्षार्थी की सही व्याकरण की हिन्दी लिखने, जिसका सामान्यतः दिन-प्रतिदिन कार्यालय में प्रयोग होता हो, की योग्यता आंकी जा सके ।

प्रश्नपत्र के केवल एक ही भाग के लिए हिन्दी का प्रयोग वर्जित है ।

प्रश्न-पत्र- प्रारम्भिक बहीखाता :

श्री जे०आर०बाटलीबोय (J.R. Batliboy)की पुस्तक एडवान्स एकाउन्टिंग (Advance Accounting) के २३वें संस्करण के अध्याय १ से ५, १४, २४, व २६(वोयेज एकाउन्टस "Voyage Accounts" के संबंधित अंश)

टिप्पणी - यदि उपर्युक्त पुस्तक के बाद के संस्करणों में अध्यायों की संख्या (Numbering) में परिवर्तन हो तो परीक्षार्थी को इन संस्करणों के उन अध्यायों का अध्ययन करना चाहिए जिनका विषय वही हो ।

प्रश्न-पत्र- उ०प्र० जल निगम लेखा एवं कार्यविधि (प्रायोगिक)

यह प्रश्न-पत्र परीक्षार्थी के निम्नलिखित से संबंधित नियमों एवं कार्यविधि से प्रायोगिक ज्ञान की कड़ी जांच के लिए होगा

(१) प्रारम्भिक लेखों (Initial Accounts) स्टोर उपकरण एवं संयन्त्र (Tool & Plants) के विवरण (Returns) ठेकेदारों व अन्य के बिल व बाउचर तैयार करना व उनका परीक्षण करना ।

(२) प्रभागीय लेखों (Divisional Accounts) का वर्गीकरण व संकलन (Classification and Compilation)

प्रायोगिक प्रश्न वित्तीय नियम संग्रह खण्ड ६ (Financial Hand Book Volume VI) तथा उ०प्र० जल निगम एकाउन्टस मैनुअल तथा जनवरी १९८५ से समय-समय पर जारी किए गए वित्त परिपत्रों पर आधारित होंगे ।

मुख्य लेखाधिकारी

प्रश्न-पत्र- लोक निर्माण लेखा एवं कार्य विधि

इस प्रश्न पत्र का आशय परीक्षार्थी द्वारा प्रश्नों के उत्तर कम समय में व सीमित स्थान में ही देने की योग्यता को जांचना है। प्रश्न-पत्रों में ही परीक्षार्थी द्वारा उत्तर लिखने के लिए स्थान होता हे और संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न काफी संख्या में होते हैं । परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पहले ही प्रयास में सही उत्तर लिखें उनके द्वारा लिखे गए उत्तरों में यदि कोई सुधार किया जाता है तो वह अंक खो देंगें ।

यह प्रश्न-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-६ (Financial Hand book Volume VI) उ०प्र० राज्य लोक निर्माण संहिता (U.P. State Public Works Codes)
तथा विभागीय नियमावली (Departmental Manuals) पर आधारित होगा ।

प्रश्न-पत्र सामान्य लेखा, कोषागार एवं वित्तीय नियम (केन्द्र सरकार व राज्य सरकार)

इस प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित संहिताओं (Codes) से सरल व सामान्य प्रकृति के प्रश्न होंगें :-

(१) एकाउन्ट कोड खण्ड एक
(२) जनरल फाइनेन्शियल रूल्स
(३) सेन्ट्रल ट्रेजरी रूल्स खण्ड एक व दो व राज्य सरकार के तदनुरूप नियम(Corresponding Rules)
(४) फण्डामेन्टल एण्ड सब्सिडियरी रूल्स

प्रश्न-पत्र - हिन्दी निबन्ध

यह प्रश्न-पत्र परीक्षार्थी के हिन्दी में कार्य करने की योग्यता के आंकलन के लिए होगा ।

३- परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षार्थी का प्रत्येक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

मुख्य लेखाधिकारी
उ० प्र० जल निगम
लखनऊ